

**प्रेस-विज्ञप्ति
थाना दीदारगंज**

गोवध निवारण अधिनियम का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 22.09.2020 को उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग एक ट्रक में पशुओ को बाधकर वध हेतु ले जा रहे है। इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस बल द्वारा घेरकर 7 राशि गाय व एक राशि बैल बरामद किया गया। जिसमें दो राशि गाय मृत पायी गयी थी। जिसमें फर्द के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-160/2020 धारा 3/5क (6)5ख 8(1) उ0प्र0 गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश 2020 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात के पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन मे आज दि नांक 30.12.2020 को थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 जावेद अख्तर व का0 अनूप कुमार व का0 सोनू गुप्ता व म0का0 अनामिका व म0का0 कृष्णा शुक्ला द्वारा वांछित/वारण्टी तथा ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र मे मौजूद थे कि उसी दौरान मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि मु0अ0सं0-160/2020 धारा 3/5क (6)5ख 8(1) उ0प्र0 गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश 2020 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त तारिक पुत्र स्व0 मुस्ताक निवासी ग्राम सजनी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ गद्वोपुर बाजार मे किसी काम हेतु आया है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मय हमराही यान द्वारा गद्वोपुर बाजार पहुचकर उक्त व्यक्ति को घेरकर आवश्यक बल का प्रयोग कर समय 07.15 गिरफ्तार किया गया। नाम पता पुछने पर अपना नाम तारिक पुत्र स्व0 मुस्ताक निवासी ग्राम सजनी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ बताया। गिरफ्तार अभियुक्त को उसके अपराध का बोध कराकर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-160/2020 धारा 3/5क (6)5ख 8(1) उ0प्र0 गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश 2020 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

तारिक पुत्र स्व0 मुस्ताक निवासी ग्राम सजनी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह मय हमराह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

थाना-मेहनाजपुर

पेट्रोल पम्प पर मारपीट करने वाले दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में दिनांक 30.12.2020 को वरिष्ठ उ0नि0 चन्द्रशेखर यादव मय

हमराह द्वारा वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु मेहनाजपुर बाजार में मौजूद थे कि जरिये मुखविर सूचना मिली कि मु0अ0सं0- 138/2020 धारा 452,323,325,504,506,427 IPC थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ से सम्बंधित वांछित अभियुक्तगण 1. विशाल सिंह (उर्फ आकाश सिंह) पुत्र कौशलेन्द्र सिंह ग्राम डंडवल थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ 2. नितेश राजभर उर्फ (बिट्टू) राजभर पुत्र स्व. राजेश राजभर ग्राम बरवा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ 3. यशवेंद्र सिंह उर्फ छोटू सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह ग्राम करसडा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ कही जाने हेतु बरवा मोड पर वाहन का इन्तेजार कर रहे है। इस सूचना पर वरिष्ठ उ0नि0 मय हमराही कर्मचारीगण के मेहनाजपुर बाजार से बरवा मोड के पास पहुंचे कि मुखविर ने इशारा करके बताया कि तिराहे पर खडे वही तीनों व्यक्ति है। पुलिस बल तेजी से उनकी गिरफ्तारी हेतु उनकी तरफ बढी कि अभियुक्तगण पुलिस बल को देखकर सकपकाकर बरवा की तरफ भागने लगे कि पुलिस बल द्वारा दौड़ाकर दो व्यक्तियों को पकड लिए तथा एक व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। दोनों व्यक्तियों से नाम पता पुछने पर क्रमशः अपना नाम विशाल सिंह उर्फ आकाश सिंह पुत्र कौशलेन्द्र सिंह ग्राम डंडवल थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ व यशवेंद्र सिंह उर्फ छोटू सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह ग्राम करसडा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ बताया। फरार अभियुक्त का नाम नितेश राजभर उर्फ (बिट्टू) राजभर पुत्र स्व. राजेश राजभर ग्राम बरवा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ बताये। पकडे गए व्यक्तियों को उनके द्वारा किये गए अपराध का बोध कराकर समय करीब 10.15 बजे पुलिस हिरासत में लेकर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

अपराध का तरीका -अभियुक्तगण द्वारा पेट्रोल पम्प पर मोटरसाईकिल में पेट्रोल भराने तथा पेट्रोल के पैसे की लेन देन की बात को लेकर गाली गुप्ता देना व लात मुक्का व लाठी डंडा से मार कर चोट पहुंचना केविन में घुस कर मारकर दांत तोड देना दरवाजा छतिग्रस्त कर देना तथा जान माल की धमकी देना।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-138/2020 धारा 452,323,325,504,506,427 IPC थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. विशाल सिंह उर्फ आकाश सिंह पुत्र कौशलेन्द्र सिंह ग्राम डंडवल थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।
2. यशवेंद्र सिंह उर्फ छोटू सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह ग्राम करसडा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास - अभियुक्त विशाल सिंह (उर्फ आकाश सिंह)

1. मु.अ.सं.138/2020 धारा 452, 323, 325,504,506,427 IPC थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।
2. एन.सी.आर. 50/15 धारा 504,506 IPC थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।
3. मु.अ.स. 53/15 धारा 323,504,506,325 IPC थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।
4. मु.अ.स.14/16 धारा 147,148,323,506,352,120B IPC व 7CLA ACT।
5. एन.सी.आर नं.64/15 धारा 506 IPC थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।
6. मु.अ.स.568/17 धारा 323,504,506,352,332 IPC थाना लंका जनपद वाराणसी।
7. मु.अ.स.200/17 धारा ¾ गुण्डा अधि, थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।
8. एन.सी.आर.नं.6/18 धारा 323,504,506 IPC थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

9. एन.सी.आर.नं.28/19 धारा 323,504 IPC थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम

वरिष्ठ उ0नि0 चन्द्रशेखर यादव मय हमराह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ ।

थाना जहानागंज

मारपीट में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 28.12.2020 को आवेदक प्रदुम यादव पुत्र पुत्र रविन्द्र यादव ग्राम वीरभद्रपुर (हनौता) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के लिखित सूचना पर मु0अ0स0 291/20 धारा 147/149/352/504/452/323/336/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

आज दिनांक 30.12.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण में मु0अ0स0 291/20 धारा 147/149/352/504/452/323/336/506 भादवि से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त 1- विवेक यादव पुत्र रमाकान्त यादव 2- राम अशीष यादव पुत्र मिठाई यादव निवासीगण वीरभद्रपुर हनौता थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ 3- अंगद यादव पुत्र रमाकान्त यादव ग्राम खोरहट थाना रानीपुर जनपद मऊ को समय करीब 12.00 बजे घर से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग:-

291/20 धारा 147/149/352/504/452/323/336/506 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1- विवेक यादव पुत्र रमाकान्त यादव
- 2- राम अशीष यादव पुत्र मिठाई यादव निवासीगण वीरभद्रपुर हनौता थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
- 3- अंगद यादव पुत्र रमाकान्त यादव ग्राम खोरहट थाना रानीपुर जनपद मऊ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1-प्र0नि0 संदीप यादव
- 2- उ0नि0 रमेश कुमार पेटल
- 3-हे0का0 अरविन्द यादव
- 4-का0 संदीप वर्मा
- 5- का0 आशीष पाल
- 6- का0 सुबाष चन्द यादव
- 7- का0 पंकज यादव
- 8- म0का0 साधना सिंह

थाना जहानागंज

एक अदद लाइसेन्सी बन्दूक 12 बोर व एक अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर के साथ

अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 28.12.2020 को आवेदक श्री रामशीष यादव पुत्र मिठाई यादव ग्राम हनेवता वीरभद्रपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के लिखित सूचना पर मु0अ0स0 292/20 धारा 147/148/149/504/323/307/506 भादवि व 3/27/30 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

आज दिनांक 30.12.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण में मु0अ0स0 292/20 धारा 147/148/149/504/323/307/506 भादवि व 3/27/30 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त प्रदुम यादव पुत्र रविन्द्र यादव ग्राम वीरभद्रपुर (हनौता) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को समय करीब 12.00 बजे घर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से एक अदद लाइसेन्सी बन्दूक SSBBL- 923, एक अदद खोखा कारतूस नं0 शक्तिमान एक्सप्रेस 12 व एक अदद जिन्दा कारतूस नं0 शक्तिमान एक्सप्रेस 12 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग:-

292/20 धारा 147/148/149/504/323/307/506 भादवि व 3/27/30 आयुध अधिनियम

बरामदगी:-

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद लाइसेन्सी बन्दूक 12 बोर व एक अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त:-

प्रदुम यादव पुत्र रविन्द्र यादव ग्राम वीरभद्रपुर (हनौता) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1- प्र0नि0 संदीप यादव
- 2- उ0नि0 रमेश कुमार पेटल
- 3- हे0का0 अरविन्द यादव
- 4- का0 संदीप वर्मा
- 5- का0 आशीष पाल
- 6- का0 सुबाष चन्द यादव
- 7- का0 पंकज यादव
- 8- म0का0 साधना सिंह

थाना- महाराजगंज

मारपीट में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर फावड़ा , भाला, परसा तथा लाठी- डडा से लैस होकर प्रार्थी के ऊपर हमलावर होते हुए गाली - गुप्ता देते हुए घर में घुसकर मारना पीटना तथा जान से मारने की धमकी देने व तोड़ फोड़ करने व बीच बचाव करने आने प्रार्थी के परिवार वालों को भी मारने पीटने , जिससे प्रार्थी का दाहिना कान कट कर अलग हो जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 296/2020 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 352, 506, 452, 427, 326 IPC पंजीकृत किया गया।

वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी** के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे के नेतृत्व में आज दि0 30.12.2020 को उ0नि0 मय हमराही के साथ थाने से खाना होकर तलाश वांछित/वारंटी तथा देखभाल क्षेत्र , चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन , जाँच प्रा0 पत्र , पेंडिंग विवेचना मु0अ0सं0 296/2020 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 352, 506, 452, 427, 326 IPC में मामूर थे कि मुखबिर खास ने बताया कि मु0अ0सं0 296/2020 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 352, 506, 452, 427, 326 IPC से संबंधित आरोपी गण कुड़ही ढाला के पास मौजूद हैं , इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 मय हमराही कर्मचारी गण व मुखबिर खास के साथ बउम्मीद गिरफ्तारी छिपते छिपाते कुड़ही ढाला के पास आये जहाँ पर कुछ लोग खड़े थे जो कहीं जाने की फिराक में थे। मुखबिर खास इशारा करके हट बढ़ गया पुलिस बल द्वारा खड़े हुए व्यक्तियों को एकबारगी घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर क्रमशः अपना 1. रामपति गुप्ता पुत्र स्व0 रामजस गुप्ता 2. शंकर गुप्ता पुत्र स्व0 रामजस गुप्ता 3. अमित गुप्ता पुत्र रामपति गुप्ता रामपति गुप्ता 4. रवि गुप्ता पुत्र रामपति गुप्ता सा0 कुड़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बताये , पकड़े गये व्यक्ति मुकदमा उक्त के नामित एवं धारा 147, 148, 149, 323, 504, 352, 506, 452, 427, 326 IPC के वांछित अभियुक्त हैं। कारण गिरफ्तारी से अवगत कराकर समय करीब 10.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 296/2020 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 352, 506, 452, 427, 326 IPC

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.रामपति गुप्ता पुत्र स्व0 रामजस गुप्ता
- 2.शंकर गुप्ता पुत्र स्व0 रामजस गुप्ता
3. अमित गुप्ता पुत्र रामपति गुप्ता रामपति गुप्ता
4. रवि गुप्ता पुत्र रामपति गुप्ता सा0 कुड़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO गजानन्द चौबे के नेतृत्व में SI हौसिला प्रसाद सिंह मय हमराही कर्मचारीगण हे0का0 उमाकान्त यादव, हे0का0 रमेश कुमार , का0 राकेश यादव